**Knowledgeable Research *ISSN 2583-6633*** **Vol.02, No.08, March, 2024**
***An International Peer-Reviewed Multidisciplinary Journal***

**Knowledgeable Research**
***ISSN 2583-6633***
**Vol.02, No.08, March, 2024**
**http://knowledgeableresearch.com/**

# बाल श्रम: चुनौतियां और समाधान जनपद-फर्रूखावाद उ0प्र0 के संदर्भ में

डा0भावना लाल
विभागाध्यक्ष, समाजशास्त्र विभाग ,राम कृष्ण महाविद्यालय, रानूखेड़ा, फर्रूखावाद
**Email& bhawanalal085@gmail.com**

**********

**शोध संदर्भ: -** *बालश्रम प्रथा किसी भी राष्ट्र की अर्थव्यवस्था पर एक बोझ, मानवता के नाम पर एक कलंक तथा बच्चों के लिये अभिज्य है लेकिन कुछ वर्गो के निजी स्वार्थो के रहते में न केवल भारत या तीसरी दुनियां के देशों में बल्कि संसार के सम्पन्न और विकसित कहे जाने वाले देशों में भी नियोजित प्रकार से तेजी से प्रचलित है। यहां तक कि अमेरिका जैसे धनी और सम्पन्न देश तक में बालश्रम की घटनाओं में लगातार वृद्धि हो रही है। अमेरिकी महालेखाकार की रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 1990 से 2000 के बीच अमेरिका में बाल श्रमिक कानून के उल्लंघन की घटनाओं में 150 से भी अधिक प्रतिशत की वृद्धि हुई है। वहां के उद्योग पति सस्ती मजदूरी के लिये बाल श्रमिकों को मिलने वाले रोगजार अवसरों को भी सेवायोजित करते हैं जिनकी मजदूरी कम होती है। इसी प्रकार मध्य और पूर्वी यूरोप तक में इस प्रकार की घटनाओं वृद्धि दर्ज की गई है लेकिन फर्रुखाबाद जनपद के देशों में यह समस्या अति विकराल है। विभिन्न संगठनों द्वारा एकत्रित किये गये आकड़ों के निष्कर्ष के रूप में कहा जा सकता है कि फर्रुखाबाद जनपद के लगभग सभी जरदोजी केन्द्र में बच्चों के विभिन्न उद्योगों और कार्यो में नियोजित कर उनका शोषण किया जाता I*

**Keywords:** ***जरदोजी, उद्योग, कार्यरत, बाल श्रमिक***

**********

देश को बाल श्रमिकों के नियोजन के कलंक से मुक्त दिलाने हेतु अभी तक किये गये प्रयासों और उनसे निकले परिणामों के अनुभवों के आधार पर यह निष्कर्ष निकाला जा सकता है कि इस महत्वपूर्ण अभियान के समक्ष अनेक चुनौतियां एवं समस्यायें है जिसके विषय में गहन अध्ययन किया जाना चाहिए और उसके निराकरण हेतु व्यवहारिक समाधान खोजे जाने चाहिए। सामान्य तौर पर इसके सम्बन्ध में सही-सही आकड़ों की जानकारी प्राप्त करना सबसे अहम चुनौती एवं समस्या है। बाल

Author Name: डा0भावना लाल
Received Date: 10.03.2024
Publication Date: 23.03.2024

**Knowledgeable Research *ISSN 2583-6633*** **Vol.02, No.08, March, 2024**
***An International Peer-Reviewed Multidisciplinary Journal***

श्रमिकों के सम्बन्ध में सरकारी संगठनों, स्वैच्छिक संस्थाओं, औद्योगिक प्रतिष्ठानों अथवा अन्तर्राष्ट्रीय एजेन्सियों आदि द्वारा प्रकासित आंकड़ों में बहुत अन्तर होता है। इनमें से कुछ आंकड़े पुराने पर आधारित होते हैं।

इस कार्य के लिये सरकार को यदि आवश्यकता हो तो केवल कुछ प्रतिष्ठित एवं विश्वसनीय स्वयंसेवी संस्थाओं की ही सहायता लेनी चाहिए। इस ओर ध्यान लगाकर बाल श्रमिकों के काम की, उनकी आयु के अनुसार शैक्षिक स्तर पर दिया जाना चाहिए अथवा पारिश्रमिक की दरें आदि की सभी सूचनाएं संकलित की जानी अपरिहार्य है तथा उनके पुनर्वास अथवा कल्याण की योजनाओं की पूर्ति रूप दिया जाना संभव होगा। इस दिशा में यद्यपि विभिन्न राज्य सरकारों द्वारा समय-समय पर सर्वेक्षण कराये भी जा रहे हैं लेकिन जिस तरीके से और अन्तराल पर उन्हें अंजाम दिया गया है वे कारगर साबित नहीं हो रहे हैं। बाल श्रम की समस्या को गंभीरतम करने के लिये दूसरी प्रमुख चुनौती देश में व्याप्त बेरोजगारी और गरीबी से सम्बन्धित है। सर्वोच्च न्यायालय ने भी अपने दिसम्बर 1996 के बालश्रम से सम्बन्धित निर्णय में बालश्रम के लिये 'गरीबी' उत्तरदायी मानते हुये कहा है कि जब तक परिवार के लिये आप की वैकल्पिक व्यवस्था नहीं हो पाती है तब तक बाल श्रम से अलग होना मुश्किल है। यह सत्य है कि देश में अधिकांश बालश्रमिक परिवारिक गरीबी अथवा पारिवारिक बेरोजगारी के शिकार हैं। परिवार के सदस्यों को दो जून की रोटी उपलब्ध कराने के उद्देश्य से अभिभावकों द्वारा उन्हें असमय ही परिवार के बोझ को उठाने के लिये विवश किया जाता है।

योजना आयोग द्वारा जारी नवीन आंकड़ों के अनुसार देश में 26 करोड़ लोग आज भी गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करने के लिये विवश है। उन्हें दो जून का खाना मिलना सुनिश्चित नहीं है। लाखों लोग आज भी ऐसे है जो रोजगार की तलाश में दर-दर भटक रहे हैं अथवा भरण पोषण के लिये आवश्यक अथवा क्षमता के अनुसार वांछित रोजगार से निम्न स्तर का अल्पकालिक रोजगार होने से परिवार के लिये वांछित आय प्राप्त नहीं कर पा रहे हैं। ऐसी परिस्थितियों में अपने-अपने परिवार के छोटे-छोटे सदस्यों के विवशता में बाल श्रमिकों के रूप में प्रवेश दिलाते हैं। कुछ परिवार है जिनमें कोई प्रौढ़ सदस्य नहीं है और मजदूरी से उन परिवारों के बच्चों को श्रम बाजार की शरण लेना पड़ रहा है जबकि युवकों के लिये सरकार द्वारा बेरोजगारी के लिये अनेक कार्यक्रम एवं योजनायें चलाये जा रहे हैं। लेकिन जनसंख्या के बढ़ते प्रकोप तथा आपाधापी के माहौल के कारण उनका असर आंशिक तौर पर ही हो रहा है।

इस समस्या के निराकरण के लिये प्रत्येक परिवार के कम से कम एक प्रौढ़ सदस्य को रोजगार के अवसर की गारंटी प्रदान के अलावा और कोई दूसरा रास्ता नहीं है। इसके लिये सरकार को बेरोजगारी निवारण की आंशिक व्यावहारिक कारगर और प्रभावी योजनाएं बनाकर उनको ठीक से क्रियान्वित करना होगा तथा ऐसे परिवारों को जिनमें कोई प्रौढ़ अथवा रोजगार मुक्त

Author Name: डा0भावना लाल
Received Date: 10.03.2024
Publication Date: 23.03.2024

**Knowledgeable Research *ISSN 2583-6633*** **Vol.02, No.08, March, 2024**
***An International Peer-Reviewed Multidisciplinary Journal***

सदस्य नहीं है उनको नियमित आयु साधन जुटाने हेतु आवश्यक कदम उठाने होंगे। इस समस्या के लिये उत्तरदायी स्वयं इस देश का ही भविष्य होगा। तीसरी महत्वपूर्ण चुनौती इस प्रकार से प्रमुख उत्तरदायी है कि इनके न्योजकों को लोभी अथवा शोषक की बढ़ती प्रवृत्ति है। बाल श्रमिकों के नियोजक चाहे वह ढाबों और चाय की दुकान के मालिक हो, घरेलू नौकरी के रूप में कार्य करने वाले सेठ, साहूकार अथवा अफसर हों अथवा कांच, जरी, कालीन, आतिशबाजी, जरदोजी, माचिस आदि उद्योगों को परिचालित करने वाले उद्योगपति हो, सभी का उद्देश्य अधिक से अधिक श्रम कराकर कम से कम पारिश्रमिक भुगतान कर उनका शोषण करने का ही रहता है। इसके लिये यदि उन्हीं को कानून की परिधि से बचने के लिये झूठे आंकड़े प्रस्तुत करने पड़े, अथवा किन्हीं लोगों को गैर कानूनी सेवा अर्चना भी करनी पड़े तो उन्हें कोई संकोच नहीं होता है। इस चुनौती का मुकाबला सरकार को अपने तन्त्र को अधिक क्रियाशील और प्रभावी बनाकर तथा सामाजिक कार्यकर्ताओं आदि की सहायता प्राप्त करते हुये दृढ़तापूर्वक करना होगा अन्यथा अपनी धन दौलत मायाजाल, प्रपंच एवं प्रभावशीलता की आड़ में इनके शोषणकर्ताओं की संख्या में निरंतर वृद्धि होती रहेगी और दिन प्रतिदिन अधिक संख्या में प्रताड़ित और शोषित होते रहेंगे ये अबोध बच्चे।

इस क्षेत्र की चैथी प्रमुख चुनौती इस समस्या के समाधान हेतु बनाये गये नियमों और कानून के प्रभावी क्रियान्वयन न हो पाने से सम्बन्धित है। यद्यपि बच्चों को श्रमिकों की दुनियां में प्रवेश से रोकना अथवा उनके शोषण के प्रतिबन्धित करने हेतु सरकार द्वारा अनेक कानून किये गये हैं लेकिन कड़वी सच्चाई ये है कि इन कानूनों और प्रावधानों की न तो कड़ाई से पालन हुआ है और न ही इसके प्रभावी क्रियान्वयन हेतु उपयुक्त वातावरण बनाया जा सकता है।

यद्यपि पिछले कई वर्षो से इस दिशा में सरकार ने कुछ कड़े और प्रभावशाली कदम भी उठाए हैं और कहीं-कहीं अच्छी सफलता भी प्राप्त की है लेकिन उपलब्ध अधिनियमों और कानूनों में खामियां और कमियों का लाभ उठाकर अधिकांश दोषी नियोजकों को दण्डित कर पाना सम्भव नहीं हो पा रहा है।

इस चुनौती का सामना करने हेतु सरकार को यह अति आवश्यक हो गया है कि सम्बन्धित अधिनियमों में संशोधित कर 14 वर्ष तक की आयु के सभी बच्चों को किसी भी उद्योग अथवा प्रक्रिया में नियोजन एवं उपयोग कर पूर्ण प्रतिबन्ध लगाये और बाल श्रम शोषण को गैर जमानती अपराध घोषित कर कड़ी से कड़ी सजा की व्यवस्था करे। इसके साथ-साथ कानूनी प्रावधानों को इतना शसक्त और प्रभावी बनाया जाये जिससे कि अपराधी को बच निकल जाने हेतु कोई रास्ता नहीं मिल सके।

Author Name: डा0भावना लाल
Received Date: 10.03.2024
Publication Date: 23.03.2024

**Knowledgeable Research *ISSN 2583-6633*** **Vol.02, No.08, March, 2024**
***An International Peer-Reviewed Multidisciplinary Journal***

बाल श्रम के निवारण क्षेत्र में पाचवीं प्रमुख चुनौती बाल श्रमिकों को श्रम क्षेत्र से हटाकर इसके पुनर्वास अथवा शिक्षा की समुचित व्यवस्था किये जाने से सम्बन्धित है। कानूनी प्रावधानों का दृढ़तापूर्वक उपयोग कर उन्हें इनके कार्यक्षेत्र से हटाकर इसके उचित पुनर्वास एवं शिक्षा की समुचित व्यवस्था तुरन्त उपलब्ध कराना आवश्यक होगा साथ ही साथ अब आवश्यक हो गया है कि 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों को निशुल्क शिक्षा अनिवार्यता संविधान में की गयी है। जबकि स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद ही विद्यालय जाने वाले इस युवा वर्ग के बच्चों की संख्या 5 करोड़ से बढ़कर 19 करोड़ हो गयी है लेकिन अभी तक लगभग 33 करोड़ से भी अधिक बच्चे विद्यालयों में नहीं जा पाते हैं। इन बच्चों के माता पिता को प्रौढ़ शिक्षा के माध्यम से जागरूत और उत्तरदायित्व पूर्ण बनाया जाना भी आवश्यक है। पर्याप्त प्रचार द्वारा जन भावनाओं को प्रेरित कर जन मानव को इस बुराई के प्रति संवेदनशील बनाया जा सकता है। कानून के प्रभावी क्रियान्वयन के साथ साथ जन सहयोग और जन चेतना द्वारा भी इस बुराई को समाप्त करने में सहायता प्राप्त की जा सकती है।

बाल अधिकारों के समुचित अन्तर्राष्ट्रीय संगठनों एवं विभिन्न देशों द्वारा बाल श्रमिकों के हाथ से बने सामान के बहिष्कार एवं उनके आयात पर लगाये गये प्रतिबन्धों जैसे ठोस कदम भी अपने देश के नागरिकों द्वारा उठाए जा सकते हैं और इनके लिये जरूरत होगी देश में जन चेतना लाने हेतु जनान्दोलन चलाने की। उक्त पालन सभी प्रयासों से भले ही हमारा समाज बाल श्रमिकों से पूरी तरह मुक्त न हो सके लेकिन यह निकिहै कि निकट समय इसका बहुत अच्छा प्रभाव होगा और देश में लाखों करोड़ों बच्चों के अपने अधिकार प्राप्त करने का मार्ग प्रशस्त होगा।

पिछले कुछ वर्षो से विशेष रूप से इस समस्या पर राष्ट्रीय और अन्तर्राष्ट्रीय झुकाव, न्यायालयों विशेष रूप से सर्वोच्च न्यायालय के ऐतिहासिक निर्णय और मामले की गंभीरता पर पड़ा रूख, केन्द्र एवं प्रदेश सरकारों द्वारा इसके कल्याणार्थ अनेक कार्यक्रमों और योजनाओं की घोषणा एवं उनका क्रियान्वयन और उठाये गये ठोस कदम सभी के लिये शिक्षा और स्वास्थ्य सेवाओं को उपलब्ध कराने का सरकार का दृढ़ निश्चय और किये जा रहे विशेष प्रयास, गैर सरकारी संगठनों तथा श्रमिक यूनियनों की भागीदारी और मीडिया द्वारा जनचेतना के प्रयासों से जो अनुकूल वातावरण बना है उससे लगता है कि अब इस दिशा में कुछ सफलता अवश्य मिलेगी और देश के अभागे लाखों करोड़ो बच्चे अपने मौलिक अधिकारों को प्राप्त कर पायेंगे और देश से बाल श्रम जैसी घिनौनी कुप्रथा हमेशा हमेशा के लिये समाप्त करने हेतु मार्ग प्रशस्त हो सकेगा।

**बाल श्रमिक समस्या या समाधान:**

Author Name: डा0भावना लाल
Received Date: 10.03.2024
Publication Date: 23.03.2024

**Knowledgeable Research *ISSN 2583-6633*** **Vol.02, No.08, March, 2024**
***An International Peer-Reviewed Multidisciplinary Journal***

बाल श्रमिक समस्या यद्यपि समस्त विश्व में पाये जाने वाला एक रोग है लेकिन भारतीय संदर्भ में इसका स्वरूप, कुछ अग्र, कुछ अलग है। कच्ची उम्र में बच्चे अथवा बढ़ते हुये किशोर का व्यवसायिक रूप से नौकरी में लगना ही उसे बाल श्रमिक बनाता है उसका प्रत्यक्ष या परोक्ष शारीरिक एवं मानसिक अथवा दोनों रूपों में शोषण करने की प्रवृत्ति ने ही श्रमिकों की समस्या को उजागर किया है।

संयुक्त परिवार की प्रथा वाले हमारे देश का सामाजिक संगठन इकाई न होकर पारिवारिक इकाई बन चुकी है। कृषि का प्रधान रोजगार होने के कारण भी परिवार के सदस्य अपने रोजगार स्थलों (खेतों) पर भी परिवार के रूप में ही कार्यरत रहते हैं ऐसे में बच्चों का कुछ न कुछ करते रहना उनके अनौपचारिक प्रशिक्षण के अतिरिक्त परोक्ष रोजगार का स्वरूप ले बैठा जो कि वर्तमान में अपनी स्वाभाविकता को गंवाकर व्यवसायिकता बन गया है यहीं से इस बाल श्रमिक समस्या का प्रादुर्भाव हुआ है। कुछ लोगों का यह मानना है कि एक बालक को बचपन प्रकृति का वरदान है और इस बचपन को छीनने का हक किसी को भी नहीं है। यह जो अपने में बिल्कुल सही है तथा प्राकृतिक नियमों के सिद्धान्तानुसार भी यह नियम लागू होता है। बाल श्रमिक प्रथा के विरोधियों का एक तर्क यह भी है कि अल्प आयु में बालकों को काम में लगा देने से उनका शारीरिक एवं मानसिक विकास नहीं हो पाता है और इसके परिणामस्वरूप वर्तमान की क्षमता का तो ह्रास होता ही है। उनकी संतानें भी विपरीत रूप से प्रभावित होती है।

सामाजिक स्वास्थ्य की दृष्टि से भी यह प्रथा एक आत्मघाती कही जा सकती है जिसके चलते देश के भावी कर्णधार शारीरिक व मानसिक रूप से भलीं भांति विकसित नहीं हो पाते हैं परिणामस्वरूप देश में स्वास्थ्य की समस्या को भी बढ़ावा मिलता है। यह तो सुस्पष्ट है कि बाल श्रमिक प्रथा समाप्त होना सामाजिक विकास व देश की खुशहाली के अनुसार तो अच्छा है तथा देश में फैली विशाल जनसंख्या जिसका एक तिहाई भाग बहुत दयनीय दशा में जा रहा है इस समाधान तक पहुंचने की सबसे बड़ी बाधा है। अन्य शब्दों में इस प्रकार भी कह सकते हैं कि हमारे देश में गरीबी और भुखमरी इस समस्या का मूल कारण है।

यहां पर एक समस्या का समाधान करना होगा कि शिक्षा का प्रसार जैसे-जैसे हो रहा है तथा पहले का बाल श्रमिक जो आज प्रौढ़ श्रमिक बन गया है, यथासम्भव अपनी कच्ची उम्र में रोजगार से दूर लगा होना चाहिए उसको एक अच्छा गुण कहते हैं जबकि इसका सांख्यकीय आधार उपलब्ध नहीं है।

Author Name: डा0भावना लाल
Received Date: 10.03.2024
Publication Date: 23.03.2024

**Knowledgeable Research *ISSN 2583-6633*** **Vol.02, No.08, March, 2024**
***An International Peer-Reviewed Multidisciplinary Journal***

सुधार की इस लहर का एक परिणाम यह भी है कि बेरोजगारी की समस्या में कुछ बढोत्तरी तो हुई है। कुछ क्षेत्र ऐसे है जिनमें विशिष्ट रूप से यथावत रूप से बाल श्रमिक व सस्ते एवं वास्तविक सहयोगी साबित होने के साथ-साथ भविष्य की श्रृंखला का भी निर्माण करते हैं। ऐसे ही धन्धों में एक है कि साइकिल आदि के पहियों में पंचर, मरम्मत करने का धन्धा। यह काम न तो इतना बड़ा है कि इसमें लोग आजीविका पा सकें और न हीं इतना जोखिम वाला या भारी भरकर है कि बच्चे न कर सकें साथ ही इसके लिये किसी विशिष्ट तकनीकी ज्ञान या उपकरणों की आवश्यकता भी नहीं है। इसके इस स्वरूप के कारण बड़े लोग इस धन्धे के लिये उपयुक्त सहायक सिद्ध होते है जबकि एक बच्चा इसमें आसानी से कर सकता है जो भविष्य में इसी धन्धे का विस्तार तथा इसकी निरन्तरता बनाये रखने में सहायक हो सकता है। इस धन्धे का महत्व प्रायः हर वाहनधारी जानता है। इसके अलावा स्टोव गैस रिपेयर, छोटे परिवारों में गृह सहायक, वर्तन, कलई, रद्दी कबाड़ आदि को धन्धों की उपयोगिता एवं आवश्यकताओं के लिये बाल श्रमिकों का महत्व छुपा नहीं है।

यह भी देखा गया है कि इस धन्धे में आने वाला बालक सहायक प्राय असहाय ही होता है। अधिकांश मामलों में ऐसे बच्चे अधिकांश निर्धन जो कि परिवारों से होते हैं। ऐसे स्वाभिमानी सद्भावना वालों में से भी अधिकतर बालक माता पिता में से एक या दोनों से बंचित होता है। कभी-कभी अधिक संतान वाले परिवारों के बच्चे भी लाचारी में ऐसे रोजगारों में लगने को मजबूर होते हैं। कभी-कभी रूठकर घर से भागे हुये बच्चे भी इसी तरीके से अपनी आजीविका चलाते हैं। कुछ बढ़ई में ठोस होने से व जरदोजी उद्योग में ठोस होने से भी इधर आ जाते हैं।

इन सबसे ऐसा प्रतीत होता है कि बाल श्रम समस्या मात्र एक सामाजिक समस्या है परन्तु ऐसा नहीं है। विघटित होते परिवारों, घटती आय और बढ़ती मंहगाई के आर्थिक बुरे चक्र में फंसे परिवारों तथा बंधुआ मजदूरों के बच्चे भी इस क्षेत्र में बहुतायत से मिलते हैं। तेजी से बढ़ते औद्योगिकीकरण के कारण कई सहायक धन्धों में भी सस्ते व कुशल श्रमिकों के लगाना बेहतर समझा जाता है। जैसे प्लास्टिक के बर्तन, खिलौना इत्यादि को बड़ी सीट में से अलग अलग करना, माचिस की तीलियों में मसाला लगाना व कढ़ाई आदि। इसी प्रकार कुछ उत्पादन क्षेत्रों में नरम व छोटी अंगुलियों वाले फुर्तीले श्रमिकों की जरूरत पड़ती है और स्पष्ट है ऐसे श्रमिक बाल श्रमिक ही हो सकते हैं। यहां उदाहरण स्वरूप देखें तो जर उद्योग हाथ घड़ियां इत्यादि के कुटीर उद्योग में अथवा ऐसी स्थिति में भी जहां छोटे-छोटे कई पेंच कसते हों, वरन लगाते हो या कोई डिजायन पिचकारी हो, जैसे काम धन्धे सहज ही सामने आ जाते हैं। यदा-कदा बाल श्रमिकों के उत्थान व कल्याण के लिये आवाजें उठाते रहने से ऐसा प्रतीत होता है कि ये सब कोई राजनीतिक दिखावा तो नहीं है? पिछले अर्से से बाल श्रमिकों के उत्थान के नारे तो समूचे विश्व में लगाये जा रहे हैं लेकिन वास्तव में किसी भी बाल श्रमिक का वास्तविक उत्थान होने का कोई प्रभाव उल्लेख

Author Name: डा0भावना लाल
Received Date: 10.03.2024
Publication Date: 23.03.2024

**Knowledgeable Research *ISSN 2583-6633*** **Vol.02, No.08, March, 2024**
***An International Peer-Reviewed Multidisciplinary Journal***

अभी कहीं नहीं मिलता है। अगर सही मायने में देखें तो ऐसा वाद-विवाद सभा सम्बोधन आदि सतही और राजनीतिक प्रेरित लगते हैं क्योंकि इनकी वास्तविक उपलब्ध यह नहीं होती कि कितने बच्चों को लाभ मिला उपलब्धि मापी जाती है राजनीतिक प्रभाव के विस्तार से।

आर्थिक रूप से बाल श्रमिक समस्या का सम्बन्ध स्थापित किया जा सकता है क्योंकि उत्पादन से श्रम का निकट सम्बन्ध होता है। कुछ मनीषी बाल श्रम को एक सामाजिक बुराई तथा राष्ट्रीय बर्बादी मानते हैं। इन विद्वानों के अनुसार बाल्य अवस्था में ही धन कमाने में लगने से बच्चे के शारीरिक, मानसिक, व शैक्षिक विकास की गति न केवल अवरुद्ध होती है अपितु कई बार तो इसकी दिशा ही बदल जाती है। ऐसी अवस्था में  बालक, उसके परिवार, समाज तथा अन्तिम रूप से देश के लिये एक विपरीत स्थिति है। राष्ट्रीय उत्पादन की दृष्टि से भी देखें तो हम पायेंगे कि बाल श्रमिक तैयार होने का अर्थ है कि वयस्क एवं कुशल मजदूर की उपलब्धि में न्यूनता, कुशल श्रमिकों को मिलने वाले रोजगार अवसरों में कमी जिनके चलते प्रौढ़ व कुशल श्रमिकों की बढ़ती प्रतियोगिता जिसका अन्तिम परिणाम सदैव हानिकारक ही होता है साथ ही साथ उपलब्धि कुशल श्रम की हानि होती है और अकुशल श्रम के कारण उत्पादन व गुणवत्ता में गिरावट आती है। इन सबके अलावा बाल श्रम प्रथा परोक्ष रूप से कम उम्र में विवाह करने की कुप्रथा और परिवार नियोजन कार्यक्रम की असफलता को भी बढ़ाता है। यदि दायरों की संकीर्णता से ऊपर उठकर देखें तो हम पायेंगे कि बाल श्रमिक समस्या का वास्तविक उदगम उसके परिवार की दयनीय आर्थिक अवस्था में निहित है। यदि हमारा प्रशासन हमारे राजनेता, और जो हमारी सामाजिक संस्थायें दृढ़इच्छाशक्ति का परिचय देते हुये कदम उठाये तो कोई बाधा उसके सामने टिक न सकेगी। प्रायः सभी मां बाप अपनी हंसती खेलती संतान को काम के कोल्हू में तभी लगाते हैं जब वे भरपेट रोटी को भी मोहताज हो जाते हैं। यदि श्रमिक को न्यूनतम मजदूरी, सतत रोजगार और सामाजिक सुरक्षा मिल जाये तो सशक्त बाल श्रमिकों की समस्या स्वतः ही समाप्त हो जायेगी।

देश के कुल बालकों का जो प्रतिशत कार्यो में लगा हुआ है यह कोई भयानक स्थिति तो नहीं है किन्तु न कोई मानव हनन की क्रिया है। यदि हम द्रढ़ इच्छा शक्ति से सूझबूझ भरी योजना और समुचित आर्थिक सहयोग का सही सही समन्वय कर सद्भावना से इस समस्या के समाधान में लगे तो मंजिल सहज होगी।

बाल श्रम उन्मूलन के उपाय: -बाल श्रम को समाप्त करने के लिये, संसारिक स्तर पर सबसे पहले अन्तर्राष्ट्रीय श्रम संगठन (आई0एल0ओ0) के द्वारा जांच की गयी। आज भी इस संगठन द्वारा निम्नांकित समझौतों के माध्यम से भारत सहित अनेक बाल श्रम बहुल राष्ट्रों को बाल श्रम उन्मूलन हेतु बचनबद्ध किया है।

Author Name: डा0भावना लाल
Received Date: 10.03.2024
Publication Date: 23.03.2024

**Knowledgeable Research *ISSN 2583-6633*** **Vol.02, No.08, March, 2024**
***An International Peer-Reviewed Multidisciplinary Journal***

1. बलात् श्रम समझौता 1930 (संख्या 29)

2. न्यूनतम श्रम समझौता 1973 (संख्या 138)

3. बाल श्रम के बुरे स्वरूपों पर समझौता 1999 (संख्या 182)

उपयुक्त बाल श्रम बचनबद्धता को दृष्टिगत रखते हुये भारत सरकार और सभी राज्यों की सरकारों द्वारा अग्रांकित अधिनियमों के माध्यम से विकासात्मक उपायों का विवेचन किया है -

1. कारखाना अधिनियम, 1948

2. न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, 1848

3. संविधानात्मक नीति निर्देशक सिद्धान्त, 1950

4. बखान श्रम अधिनियम, 1951

5. खान अधिनियम, 1952

6. मोटर परिवहन कामगार अधिनियम, 1961

7. बीड़ी और सिगार कामगार (रोजगार की दशाएं) अधिनियम, 1966

8. अनुबन्ध श्रम (विनियमन एवं उन्मूलन) अधिनियम, 1970

9. बाल श्रम (प्रतिशोध एवं विनियमन) अधिनियम, 1986

10. राष्ट्रीय बाल श्रम नीति, 1987

11. बाल श्रमिक सैल, 1990

12. बाल सुरक्षा हेतु राष्ट्रीय एजेण्डा, 1998

13. बाल न्याय (सुरक्षा और देखभाल) अधिनियम, 2000

14. निःशुल्क चाइल्ड लाइन फोन सेवा, 1998

Author Name: डा0भावना लाल
Received Date: 10.03.2024
Publication Date: 23.03.2024

**Knowledgeable Research *ISSN 2583-6633*** **Vol.02, No.08, March, 2024**
***An International Peer-Reviewed Multidisciplinary Journal***

15 बाल शिक्षा गारन्टी योजना, 2001

16 राष्ट्रीय बाल चार्टर, 2003

**बाल श्रम हेतु गठित की गयी समितियां:-**

1. गुरपद्स्वामी समिति (1979) को सर्वाधिक महत्वपूर्ण माना जाता है इसमें बाल श्रम समस्या को गरीबी की देव बताया है और इसे दूर करने हेतु अनेक सकारात्मक उपाय प्रस्तुत करने के सुझाव प्रस्तुत किये हैं।

2. हरिवंश सिंह समिति, सदन मेहता समिति, सिंधवी समिति आदि ने भी एक चिन्ताजनक सुझाव प्रस्तुत करते हुये ही भारत सरकार द्वार बाल श्रम (निषेध एवं नियमन) अधिनियम 1986 को लागू किया गया है यह विस्तृत अधिनियम देश में प्रचलित बाल प्रथा के उन्मूलन हेतु बनाया गया जो कि सर्वाधिक महत्वपूर्ण और सार्थक अधिनियम माना जाता है। इसका क्रियान्वयन राष्ट्रीय बाल श्रम नीति 1987 के साथ किया गया।

भारत सरकार द्वारा बच्चों के लिये बनाया गया राष्ट्रीय चार्टर, 2002 बच्चों को संविधान तहत पहले से प्राप्त अधिकारों का उपयोग करने का एक उल्लेखनीय प्रयास है। भारत सरकार द्वारा दसवीं योजना के अन्त तक बाल श्रम उन्मूलन का लक्ष्य रखा गया है। इस योजना की मुख्य भूमिका है कि 9 वर्ष से कम आयु के सभी काम करने वाले बालकों को विकास मन्त्रालय की सर्वशिक्षा अभियान योजना के अन्तर्गत सीधे स्कूल में भर्ती किये जाए व जोखिमकारी व्यवसायों और प्रक्रियाओं में कार्य करने वाले बच्चों को कार्य से हटाने और उन्हें पुनः विकास करने हेतु शिक्षा प्रदान करता है। इस योजना का मुख्य लक्ष्य रहा है तथा मध्यान्ह भोजन, बजीफा, व्यवसायिक प्रशिक्षण और स्वास्थ्य पांच इस योजना के घटक ।

**REFERENCE:**

1- Mapping India's Children UNICEF in Action., UNICEF, 73 , Lodi Estate, New Delhi,

2- I.L.O., International Labor Organization, Office, Lodi Estate, New Delhi,

3- Padekar & Nageya A Study on the living conditions of working & study children of Delhi, 1922

4- Hermann, Abbot an Approach of Social problems Boston, 1949

5- राम आहुजा बाल श्रम समस्या एवं सर्वेक्षण, रिसर्च, पब्लिकेशन, जयपुर, 1949

Author Name: डा0भावना लाल
Received Date: 10.03.2024
Publication Date: 23.03.2024

**Knowledgeable Research *ISSN 2583-6633*** **Vol.02, No.08, March, 2024**

***An International Peer-Reviewed Multidisciplinary Journal***

6- S. Chandrashekhar India's population, Indian Institute for Population Studies, Annamalai University, Chidambaram, 1950

7- R.L. Ekaf 1953

8- Cyril Burt The Young Delinquent University of London, London, 1955

9- Farris, C.L. Robert. Social Disorganization (2nd Edition Ronald, New Delhi, 1955)

10- Kabir Haman Student Unrest, Ministry of Education

Author Name: डा0भावना लाल

Received Date: 10.03.2024
Publication Date: 23.03.2024